

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(जीसीएमएस नं० 2024/93)

मु०नं०-48/2024

उनवान —सरकार बनाम मुन्नासिंह पुत्र महावीर कुशवाह, उम्र 28 वर्ष, जाति कुशवाह, मालिक मैसर्स: पलक डेयरी सीताराम कॉलोनी, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी सीताराम कॉलोनी, बाडी रोड, धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ०एस०एस०एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक —30.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्यास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त मुन्नासिंह पुत्र महावीर कुशवाह, उम्र 28 वर्ष, जाति कुशवाह, मालिक मैसर्स: पलक डेयरी सीताराम कॉलोनी, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी सीताराम कॉलोनी, बाडी रोड, धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ०एस०एस०एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स:- पलक डेयरी सीताराम कॉलोनी, गुलाब बाग, धौलपुर निरीक्षण के दौरान डेयरी में रखे फीजर में स्थित लगभग 50 लीटर मिश्रित दूध को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त मिश्रित दूध को 2 लीटर वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-2941 वास्ते जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जाँच रिपोर्ट एलएस/1129/एक्ट/2023/1174 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया मिश्रित दूध अवमानक (सबरस्टेण्डर्ड) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं मय अभिभाषक उपस्थित हुआ। अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। जवाब पेश करने से मना किया। अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिश्रित दूध अवमानक (सबरस्टेण्डर्ड) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिश्रित दूध अवमानक (सबरस्टेण्डर्ड) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री मुन्नासिंह पुत्र महावीर कुशवाह, उम्र 28 वर्ष, जाति कुशवाह, मालिक मैसर्स: पलक डेयरी सीताराम कॉलोनी, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी सीताराम कॉलोनी, बाडी रोड, धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 25,000/-रुपये (पच्चीस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)

